अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ– 27(252)ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/एसओपी/2015–16 जयपुर, दिनांक 06 अप्रेल, 2016

स्थायी आदेश संख्या– 26/2016

विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ– 27 (79) ग्रावि/अनु.5/जीकेएन/प्रशा.अनु.स./2014 दिनांक 17.9.2014 के क्रम में जारी स्थाई आदेश संख्या– 25/2015 दिनांक 10.03.2016 के द्वारा शिड्यूल ऑफ पॉवर्स तालिका – 1 में निर्माण कार्यो की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए ग्राम पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों में संशोधन किया गया है; जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ग्राम पंचायत के लिए प्रदत्त शक्तियों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति को प्रदत्त शक्तियों में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिए विभागीय परिपत्र दिनांक 17.09.2014 द्वारा जारी शिड्यूल ऑफ पॉवर की तालिका 1 व 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

परिशिष्ठ –1 प्रशासनिक स्वीकृति

क. सं.	कार्य/आईटम का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी/समिति जिसको शक्तियॉ निहित है	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपयों में)		शर्तें/टिप्पणियां
			नवीन स्वीकृति	रखरखाव/मरम्मत	
1	2	3	4	5	6
1–अ	निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (मूल) (विधायक, सांसद कोष व महात्मा गांधी नरेगा के अतिरिक्त)	**ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि)**	5.00 लाख तक	0.50 लाख	शर्तें / टिप्पणीयां क्र.सं. 1 से 12 यथावत लागू होगी। एवं निम्न अतिरिक्त शर्त संख्या–13 भी लागू होगी। 13 **सडक निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्तो के लिए भूमि से सम्बंधित कास्तकारों से सहमति, नियमानुसार शपथ पत्र लेने के उपरान्त कार्य सम्पादन किया जा सकेगा।**
		विकास अधिकारी (पंचायत समिति के पास उपलब्ध राशि)	5.00 लाख तक	2.00 लाख	

परिशिष्ठ –2 वित्तीय स्वीकृति (संशोधित सहित)

क. सं.	कार्य/आईटम का विवरण	स्वीकृतकर्ता अधिकारी/ समिति जिसको शक्तियॉ निहित है	शक्तियों की वित्तीय सीमा (राशि रूपयों में)		शर्तें/ टिप्पणियां
			नवीन स्वीकृति	रखरखाव/ मरम्मत	
1	2	3	4	5	6
1–अ	निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति (मूल) (विधायक व सांसद कोष, महात्मा गांधी नरेगा के अतिरिक्त)	**ग्राम पंचायत (ग्राम पंचायत के पास उपलब्ध राशि)**	5.00 लाख तक	0.50 लाख	शर्तें/टिप्पणीयां क्र.सं. 1 से 10 यथावत लागू होगी।
		विकास अधिकारी (पंचायत समिति के पास उपलब्ध राशि)	5.00 लाख तक	2.00 लाख	

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(श्रीमत् पाण्डेय)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रमीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार।
5. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, ग्रा.वि.एवंपंचा.राज.विभाग, जल संसाधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आयुक्त, ईजीएस, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, जयपुर।
7. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
8. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/ अभियंतागण, ग्रा.वि. एवंपं.रावि/ईजीएस जयपुर।
9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
10. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त।
11. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
12. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त राजस्थान।
13. विकास अधिकारी, पं.स. समस्त, राज. को प्रेषित कर निर्देश है कि इस आदेश की प्रति प्रत्येक ग्रा.पं., ग्राम सेवक एवं प्रत्येक अभियंता तथा अन्य संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करावें।
14. रक्षित पत्रावली।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि